<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
1/364/12	02.11.2012	21.06.2019

उनवान

1. जगदीश पुत्र हरगोविन्द
2. रामकिशन उर्फ छोटेलाल पुत्र हरगोविन्द (मृतक)
   2/1 लल्ली मीना पत्नी स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/2 रामहेत मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/3 अमरचन्द मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/4 मनोज कुमार मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/5 घनश्याम मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल, निवासियान नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर।
   2/6 कम्मो उर्फ कमलेश पुत्री स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल पत्नी हुकमचन्द मीणा निवासी टाईगर कालोनी देहली रोड, अलवर।
   2/7 रामकली पुत्री स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल पत्नी सुरजन मीणा निवासी पूनखर तहसील मालाखेडा, अलवर।
3. घोल्या पिसरान स्व0 हरगोविन्द जाति मीणा निवासी नयाबास, तहसील रामगढ जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

....................असल प्रतिवादीगण

3. श्वेता मीणा पत्नी श्री कमल मीणा साकिन बी–3 मालवीय नगर, अलवर।
4. मोती,
5. श्योदान पिसरान छाज्या,
6. बांका पुत्र श्योदान, जातियान मीणा निवासियान नया बास, अलवर
7. कमला पत्नी छोटेलाल मीणा निवासी नया बास, तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट)

<u>उपस्थित अभिभाषकगण</u>

1. श्री पुष्करराज मुखीजा एडवोकेट – वादीगण
2. पैरोकार राजस्थान सरकार – प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 167 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 154 रकबा 0.02, 155 रकबा 9.19, 659 रकबा 0.10, 660 रकबा 0.10, 661 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 5

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

रकबा 9.51 हैक्ट0 वाके ग्राम नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी छाज्या पुत्र नत्थू, जहरू, हरनारायण पुत्र भौरिया मीणा की समान हिस्से कब्जे की चली रही है कि जो आराजी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.90 के द्वारा हम वादीगण के बुजुर्गो को प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल सं0 307 मंजूर व स्वीकार हुआ जो इन्तकाल संलग्न है। जिसमें हरनारायण, छाज्या, भैरू का 1/3 हिस्सा का समान भाग यानि 1/9–1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा इसी प्रकार मोती, सम्पत व ... को 1/3 हिस्सा का समान भाग 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वादीगण के बुर्जुग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का समान भाग 1/6, 1/6 हिस्सा रकबा प्राप्त हुआ। लेकिन राजस्व अभिलेख में हम वादीगण का अन्य हिस्सेदारों के साथ–साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन पूर्वक 1/9 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का भी 1/9 हिस्सा खेवट सं0 208 सम्वत 2046 में दर्ज कर दिया गया। जिस हिस्से अनुसार ही राजस्व अभिलेख में हम वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 7 की आराजीयात का हिस्सा का अंकन हो गया हम वादीगण पूर्वोत्तर अंकन के गलत इन्द्राज से अनभिज्ञ थे। हम वादीगण ने दर्ज 1/9 हिस्से का बेचान कर दिया। ... आराजी 1/18 हिस्सा रकबा हम वादीगण के कब्जे में है। इन्तकाल सं0 307 के मुताबिक राजस्व अभिलेख में अंकन न किया जाकर अन्य हिस्सेदारों के समान ही हम वादीगण के बुजुर्ग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज करने के बजाय समान भाग 1/9–1/9 दर्ज कर दिया गया जो पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में यथावत चलता आया है। जबकि वादीगण का उक्त आराजी मुतनाजा के ... हिस्सा पर व 1/18 हिस्सा पर तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर काबिज है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी ... खसरा नम्बर 167 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 154 रकबा 0.02, ... रकबा 9.19, 659 रकबा 0.10, 660 रकबा 0.10, 661 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 9.51 हैक्ट0 वाके ग्राम नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण को ... सम्वत 2046 व इन्तकाल सं0 307 में वादीगण के बुजुर्ग हरगोविन्द–मृतक के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

हिस्से अंकन हम वादीगण का 1/18 हिस्सा बनता है का अंकन राजस्व में हम वादीगण के नाम इन्द्राज कराया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे वादीगण को 1/18 हिस्सा का विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब प्रतिवादी सं0 3 ला0 7 की विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए दिनांक 05 जून 2019 को अखबार साया अलवर भास्कर से कराने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी सं0 3 ला0 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया कि मुताबिक नामान्तकरण सं0 307 दिनांक 17.06.69 के के पिता हरगोविन्द का हिस्सा 1/6 होता है। लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2029 के में अन्य हिस्सेदारान के साथ समानभाग दर्ज करनें से पश्चातवर्ती रिकार्ड जमाबन्दी 2046 नें 1/9 हिस्सा दर्ज किया गया है जो गलत है तत्पश्चात इसी हिस्से वादीगण द्वारा विवादित आराजी का बेचान किये जाने से वर्तमान रिकार्ड में का हिस्सा विलुप्त हो गया है। अतः प्रकरण में क्रेतागण प्रतिवादी सं0 3 ला0 7 सुना जाकर तदानुसार आदेश पारित किया जाना उचित है। पुनश्चः सम्वत 2046 जमाबन्दी नें मोती श्योदान पिता छाज्या 1/9 का इन्द्राज निराधार है। उसका 1/9 का विलोपन किया जाकर प्रार्थीगण का शेष हिस्सा इन्द्राज किया जा सकता है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में स्वयं वादी जगदीश का हल्फनामा पेश किया। धोल्या पुत्र हरगोविन्द, बाबूलाल पुत्र बालूराम व लोकेश पुत्र धोल्या का पेश किया। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ईएक्स–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 ईएक्स–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2046 नकल जमाबन्दी सम्वत 2042 ईएक्स–6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2037 नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 ईएक्स–8, इन्तकाल सं0 307 ईएक्स–9, नकल

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

जमाबन्दी सम्वत 2029 ईएक्स–10, नकल डिक्री प्रार्थना पत्र 136 दिनांक 12.07.16 [illegible]–11 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी [illegible] में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि छाज्या पुत्र नत्थू, जहरू, [illegible] पुत्र भौरिया मीणा की समान हिस्से कब्जे की आराजी रही है जो आराजी [illegible] उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.90 के द्वारा वादीगण के बुजुर्गो को [illegible] चुकी है। जिसका इन्तकाल सं0 307 स्वीकार हुआ। जिसमें हरनारायण, छाज्या, भैरू [illegible] 1/3 हिस्सा का समान भाग यानि 1/9–1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा इसी [illegible] मोती, सम्पत व गूंगा को 1/3 हिस्सा का समान भाग 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा [illegible] हुआ। इसी प्रकार वादीगण के बुर्जुग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का [illegible] 1/6, 1/6 हिस्सा रकबा प्राप्त हुआ। लेकिन राजस्व अभिलेख में वादीगण का [illegible] हिस्सेदारों के साथ–साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन पूर्वक 1/9 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का भी 1/9 हिस्सा खेवट सं0 208 सम्वत 2046 में दर्ज [illegible] दिया गया। जिस हिस्से अनुसार ही राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 की आराजीयात का हिस्सा का अंकन हो गया, वादीगण पूर्वोत्तर अंकन [illegible] इन्द्राज से अनभिज्ञ थे। वादीगण ने दर्ज 1/9 हिस्से का बेचान कर दिया। शेष [illegible] 1/18 हिस्सा रकबा वादीगण के कब्जे में है। इन्तकाल सं0 307 के अनुसार [illegible] अभिलेख में अंकन न किया जाकर अन्य हिस्सेदारों के समान ही वादीगण के बुजुर्ग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज करने के बजाय [illegible] 1/9–1/9 दर्ज कर दिया गया जो पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में यथावत [illegible] है। जबकि वादीगण का उक्त आराजी मुतनाजा के 1/18 हिस्सा पर व [illegible] हिस्सा पर तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर [illegible] है। अतः राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कराने का निवेदन किया गया। पैरोकार [illegible] ने भी अपने जवाब में अंकित किया है कि सम्वत 2046 की जमाबन्दी में मोती [illegible] पिता छाज्या 1/9 का इन्द्राज निराधार है। उसका 1/9 हिस्से का विलोपन [illegible] जाकर प्रार्थीगण का शेष हिस्सा इन्द्राज किया जा सकता है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादीगण विद्वान वकील की बहस एवं तथा पैरोकार सरकार के जवाब पर गौर करने से प्रतीत होता है कि छाज्या पुत्र नत्थू, जहरू, हरनारायण पुत्र भौरिया मीणा की समान हिस्से कब्जे आराजी रही है जो आराजी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.90 के द्वारा वादीगण के बुजुर्गो को प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल सं0 307 स्वीकार हुआ। जिसमें हरनारायण, छाज्या, भैरू का 1/3 हिस्सा का समान भाग यानि 1/9–1/9–1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा इसी प्रकार मोती, सम्पत व गूंगा को 1/3 हिस्सा का समान भाग 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वादीगण के बुर्जुग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का समान भाग 1/6, 1/6 हिस्सा रकबा प्राप्त हुआ। लेकिन राजस्व अभिलेख में वादीगण का अन्य हिस्सेदारों के साथ–साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा गबन पूर्वक 1/9 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का भी 1/9 हिस्सा खाता सं0 208 सम्वत 2046 में दर्ज कर दिया गया। वादीगण ने दर्ज 1/9 हिस्से का बयान कर दिया। शेष आराजी 1/18 हिस्सा रकबा वादीगण के कब्जे में है। इन्तकाल सं0 307 के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन न किया जाकर अन्य हिस्सेदारों के समान ही वादीगण के बुजुर्ग हरगोविन्द व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 बांका का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज करने के बजाय समान भाग 1/9–1/9 दर्ज कर दिया गया जो पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में यथावत चलता आया है। जबकि वादीगण का उक्त आराजी मुतनाजा के 1/18 हिस्सा पर व 1/18 हिस्सा पर तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर काबिज है। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि सम्वत 2046 की जमाबन्दी में मोती, श्योदान पिता छाज्या 1/9 का इन्द्राज निराधार है। उसका 1/9 हिस्से का विलोपन किया जाकर वादीगण का शेष हिस्सा इन्द्राज किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि जवाब तहसीलदार रामगढ के अनुसार होती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है। साबिक खसरा नम्बर 167 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 154 रकबा 0.02,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

[illegible] रकबा 0.10, 660 रकबा 0.10, 661 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 9.51 [illegible] वाके ग्राम नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर में दर्ज प्रतिवादी सं0 4 व 5 (मोती [illegible] व श्योदान पुत्र छाज्या) का नाम कलमजन कर वादीगण को 1/18 हिस्सा का [illegible] आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

[illegible] डिक्री आज दिनांक 21.06.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

21.06.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

655 रकबा 9.19, 659 रकबा 0.10, 660 रकबा 0.10, 661 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल 5 रकबा 9.51 हैक्ट0 वाके ग्राम नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर में दर्ज वादी सं0 4 व 5 (मोती पुत्र छाज्या व श्योदान पुत्र छाज्या) का नाम कलमजन कर प्रत्येक को 1/18 हिस्सा का विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.06.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/364/12	02.11.2012	21.06.2019

उनवान

1. जगदीश पुत्र हरगोविन्द
2. रामकिशन उर्फ छोटेलाल पुत्र हरगोविन्द (मृतक)
   2/1 लल्ली मीना पत्नी स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/2 रामहेत मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/3 अमरचन्द मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/4 मनोज कुमार मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल
   2/5 घनश्याम मीना पुत्र स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल, निवासियान नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर।
   2/6 कम्मो उर्फ कमलेश पुत्री स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल पत्नी हुकमचन्द मीणा निवासी टाईगर कालोनी देहली रोड, अलवर।
   2/7 रामकली पुत्री स्व0 रामकिशन उर्फ छोटेलाल पत्नी सुरजन मीणा निवासी पूनखर तहसील मालाखेडा, अलवर।
3. घोल्या पि0 स्व0 हरगोविन्द जाति मीणा निवासी नयाबास, तह0 रामगढ जिला अलवर।

...............................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

....................असल प्रतिवादीगण

3. श्वेता मीणा पत्नी श्री कमल मीणा साकिन बी–3 मालवीय नगर, अलवर।
4. मोती,
5. श्योदान पिसरान छाज्या,
6. बांका पुत्र श्योदान, जातियान मीणा निवासियान नया बास, अलवर
7. कमला पत्नी छोटेलाल मीणा निवासी नया बास, तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री पुष्करराज मुखीजा एडवोकेट – वादीगण
2. पैरोकार राजस्थान सरकार – प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है। साबिक खसरा नम्बर 167 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 154 रकबा 0.02, 155 रकबा 9.19,

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)